# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 21-09-2024

**थाना सेक्टर- 58 पुलिस द्वारा शिप (जहाज) पर विभिन्न पदो पर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर एड डालकर आम जनता के लोगों को लुभाकर फर्जी ऑफर लेटर बनाकर दे देना व मेडीकल कराने व एसटीसीडब्लू, एसआईडी, सीडीसी कार्ड आदि बनवाने के नाम पर पैसा हडपकर उनके साथ धोखाधडी करने वाले एक कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुये कॉल सेन्टर संचालक व एक महिला अभियुक्ता सहित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक्स उपकरण व फर्जी दस्तावेज बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** थाना **सेक्टर-58** नोएडा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक **21.09.2024** को आईथम टावर सैक्टर-62, नोएडा में शिप(जहाज) पर विभिन्न पदो पर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाईट बनाकर, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर एड डालकर भोले भाले लोगो लुभाकर फर्जी आफर लेटर बनाकर दे देना व मेडीकल कराने व एसटीसीडब्लू, एसआईडी, सीडीसी कार्ड आदि बनवाने के नाम पर पैसा हडपकर उनके साथ धोखाधडी करने वाला एक कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुये कॉल सेन्टर संचालक सहित कुल 05 अभियुक्तो की **गिरफ्तारी** गयी तथा भारी मात्रा इलेक्ट्रानिक्स उपकरण  08 कम्प्यूटर सीपीयू, 01 लैपटाप, 05 मोबाइल, 11 मोहरे, 02 सिम कार्ड, 01 एसआईडी कार्ड, 01 सीडीसी, 01 पासपोर्ट 08 दस्तावेज आफर लेटर बरामद किये गये है।

**घटना का विवरण--** दिनांक 20.09.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि मुझे नौकरी की तलाश थी मैने फेसबुक पर यथार्थ ग्रुप कन्सट्रक्शन एवं फैक्ल्टी मैनेजमेंट नाम से एक एड देखा जिसमें दिये गये नम्बर पर व्हास्टएप पर काल की तो मुझे बताया गया कि हमारी कम्पनी शिप (क्रूज) पर विभिन्न पदो पर नौकरी दिलाने का काम करती है। वादी ने आकाश से बात कि हमारा ऑफिस आईथम टावर सै0 62 नोएडा है हमारी कम्पनी के मालिक अंकित है इसी पते पर आईथम टावर मे हमारा आफिस है तथा हमारी वेबसाईट WWWYatherth group-co है आकाश ने मेरा ऑन लाईन इन्टरव्यू 31 मई 2024 को गूगल मीट पर कराया और कहा कि आप का सलेक्शन मुम्बई टू गोवा शिप के लिए हो गया है और आप को नोएडा मेडिकल के लिए आना पडेगा। जिसके लिए 11 हजार रुपये लगेगे तो वादी ने 11 हजार रुपये आन लाईन गुगल पे पर अंकित

सिंह को भेज दिया। 10 जून 2024 को उपरोक्त 11,000 रुपये भेजे गये थे उसके बाद आकाश के द्वारा मोबाइल नम्बर पर पेमेन्ट स्लिप भेज दी। उसके कुछ दिन बाद यथार्थ ग्रूप की तरफ से मेरी ईमेल पर मेल आया कि आपको 38600 रु0 और देने है। इन पैसे मे हम आपका STCW, CDC, SID,VISA का प्रोग्रेस करवाएगें और इस मे आप की फ्लाइट टिकट भी रहेगी। तो मैने 38600 रु कोडेक महिन्द्रा बैंक के खाते में 4 जुलाई 2024 पर भेज दिये है। इन की कम्पनी का मेल आया कि आपको मुम्बई टू गोवा शिप कस्टूमर सर्विस पर दिनांक 20 मार्च 2024 को ज्वाईन करना है। यथार्थ ग्रुप कन्सट्रक्शन एवं फैक्ल्टी मैनेजमेंट कम्पनी के द्वारा मुझको कूटरचित ऑफर लेटर व मेडीकल तैयार कर मुझे मेल पर भेजा गया, जिसमें आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 348/2024धारा 318(4),338,336(3),340(2),316(2)बीएनएस तथा धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

**पूछताछ का विवरण--** अभियुक्तों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि इन कॉल सेन्टर के मलिक अंकित के द्वारा यह आफिस मार्च में 35,000/- रूपये महीना के किराये पर लिया गया था, जिसका 15000 मेन्टेनेन्स था तथा अंकित द्वारा ही यह फर्जी कम्पनी बनायी गयी थी, जो फुसबुक व इंस्टाग्राम पर शिप व अन्य जगहो पर सिविल , कंट्रक्शन, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, गन मैन, मैकेनिक , इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सुरपरवाईजर, हाउस कीपिंग स्टाफ आदि पदो पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगो को व्हास्टएप विडियो काल के माध्यम से मीटिंग व इंटरव्यू पर उनको फर्जी आफर लेटर देते थे तथा उनसे पैसे हडप लेते थे तथा उसको नौकरी दिलाने के बहाने बनाकर टाईम को आगे बढाते रहते थे। यह लोग दूर दराज के बेरोजगार लोगो को निशाना बनाते थे। इनके अभी तक दो कोटक महिन्द्रा बैंक में दो खाते मिले है जिनकी जांच की जा रही है। बादल पुत्र मूलचन्द्र के नाम के एसटीसीडब्लू, एसआईडी, सीडीसी कार्ड मिले है जो किसी अन्य कंपनी के माध्यम से इरान गया था उसी को ये लोग अन्य लोगो की दिखाकर कि इसको भी हम लोगो ने नौकरी लगवाकर बहार भेजा है, डमी की तरह प्रयोग करते थे। इनके पास से फर्जी फिटनेश मेडीकल मोहर, फर्जी ऑफ़र लैटर भी बरामद हुई है फर्जी मोहर के माध्यम से ही फर्जी मेडीकल सर्टिफिकेट जारी करते थे, तथा इनसे मिले लैपटॉप, कंप्यूटर व फर्जी दस्तावेजी की जॉच की रही।

**गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण--**

1. अंकित पुत्र रामबहादुर निवासी 11/136 मिश्रा कालोनी पश्चिमी गंगाघाट शुक्लागंज थाना गंगा घाट जिला उन्नाव उम्र- करीब 28 वर्ष
2. अरीबा पुत्री अहमद हुसैन निवासी- बेगमसराय खुर्द थाना कोतवाली सिटी अमरोहा जिला अमरोहा उम्र करीब 22 वर्षने
3. यावेन्द्र पुत्र रामपाल सिंह निवासी मोहल्ला नसीराबाद मिलक थाना मिलक जिला रामपुर उम्र करीब 28 वर्ष

4. दुर्गेश यादव पुत्र भगवानदास निवासी भीकन पुर धनपतगंज थाना धनपतगंज  जनपद सुल्तान पुर उम्र करीब 30 वर्ष
5. बादल पुत्र मूलचन्द्र निवासी- 48/58 गली नं0-6 मुखिया गेट सलाम होटल के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 348/2024धारा 318(4),338,336(3),340(2),316(2)बीएनएस तथा धारा 66डी आईटी एक्ट थाना से0 58, नोएडा

**बरामदगी का विवरण--**

2. 08 कम्प्यूटर सीपीयू,
3. 01 लैपटाप,
4. 05 मोबाइल,
5. 11 मोहरे,
6. यथार्थ ग्रुप के नाम के 02 सिम कार्ड,
7. 01 एसआईडी कार्ड, (बादल के नाम के )
8. 01 सीडीसी, (बादल के नाम के )
9. 01 पासपोर्ट (बादल के नाम के )
10. 08 दस्तावेज आफर लेटर

## 2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह सप्लायर गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर व 02 अवैध चाकू बरामद।

**कार्यवाही का विवरण--**  थाना **बीटा-2** पुलिस द्वारा दिनांक **21.09.2024** को अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त 1. शिवम सोम पुत्र राजेन्द्र सिंह 2.हर्ष पुत्र संजीव 3.अर्जुन पुत्र राजेन्द्र को पी-3 के पास गन्दे नाले की पास सर्विस रोड थाना क्षेत्र बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर, 02 चाकू नाजायज बरामद हुए है।

**अपराध करने का तरीका--** अभियुक्तगण शातिर किस्म में अवैध अस्लाह के सप्लायर है, जो कि मेरठ से कम दामों में नाजायज अस्लाह को खरीदकर लाते है एवं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ऊचें दामों में नाजायज अस्लाह को बेच कर अवैध धन अर्जित करते है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--**

1. शिवम सोम पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सालावर थाना सरधना जनपद मेरठ।
2. हर्ष पुत्र संजीव निवासी ग्राम ननेहडा थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
3. अर्जुन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रडखन्टी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 410/2024 धारा 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

**बरामदगी का विवरण--**

2. 01 पिस्टल 32 बोर नाजायज बरामद (अभियुक्त शिवम से)
3. 01 चाकू नाजायज बरामद (अभियुक्त हर्ष से)
4. 01 चाकू नाजायज बरामद (अभियुक्त अर्जुन से ).